

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग।

सं० एफ० एफ० ई० बी एफ/ 5-2/2001

तारीख 15.2.03
11-9-03

अधिसूचना

इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट वन भूमि और उस पर सरकार और प्राईवेट व्यक्तियों के अधिकारों की प्रकृति और विस्तार की जांच कर ली गई है और इन्हें भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 की उपधारा 13 के अधीन अभिलिखित कर लिया गया है।

और उपर्युक्त अनुसूची में दर्शित वन भूमि और बंजर भूमि सरकार की सम्पत्ति है जिस पर सरकार के संपत्तिक अधिकार हैं या सरकार उसकी वन उपज के सम्पूर्ण या किसी भाग की हकदार है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उक्त अधिनियम की धारा-29 की उपधारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषित करते हैं कि उक्त अधिनियम के अध्याय-4 के उपबन्ध उपर्युक्त अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट, हिमाली वन मण्डल, जिला हिमाली हिमाचल प्रदेश की वन भूमि और बंजर भूमि को लागू होंगे और इसके पश्चात् उपरोक्त अधिनियम की धारा-29 की उपधारा 13 के उपबन्धों के अधीन "रक्षित वन" कहलायेंगे।

आदेश द्वारा,

वित्तायुक्त एवं सचिव [वन]
हिमाचल प्रदेश सरकार।

सं० एफ० एफ० ई० बी एफ/ 5-2/2001

तारीख हिमाली/ 15.2.2003.

1. प्रबन्धक हि० प्र० सुवर्णा तथा लेखक सामग्री हिमाली को हि० प्र० के राजपत्र में प्रकाशित करने हेतु। कृपया हि० प्र० राजपत्र की 50 प्रतियां वनसंरक्षण, हि० प्र० तथा योजना वृत्त को दिये विधि सहित भेजी जाएं।
2. 50 वन संरक्षण, हि० प्र० हिमाली-1।
3. जिलाधीश हिमाली को 10 अतिरिक्त प्रतियां सहित।
4. वन संरक्षण हिमाली वृत्त, हि० प्र०।
5. कलेक्टर कम सेंट्रल ऑफिसर [वन] समाहर्ता, संजोली हि० प्र० को 10 अतिरिक्त प्रतियां सहित।
6. व० म० 310 हिमाली को जानकारी तथा आवश्यक कार्यावाही हेतु।
7. वरिष्ठ विधि अधिकारी, विधि विभाग, हि० प्र० सरकार, हिमाली-2।
8. व० म० 310 कार्ययोजना एवं व्यवस्था हि० प्र० मण्डली को सूचना हेतु।

अतिरिक्त सचिव [वन]
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संदेशों को जंगल के न मण्डल हिमालय, सहस्राल सुन्नी, जिसका हिमालय निम्नलिखित है : पद
अधिनियम १९२७ धारा-२९(१) के अधीन अधिसूचना जारी की जानी है।

क्र.सं.	आवेदन नं.	आवेदक का नाम	पंजीकृत का नाम	संशोधित का नाम
1.	1/96	गोखले	गोखले	गोखले
2.	2/96	गोखले	गोखले	गोखले
3.	3/96	गोखले	गोखले	गोखले
4.	4/96	गोखले	गोखले	गोखले
5.	23/96	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र
6.	7/97	सर्विस	सर्विस	सर्विस
7.	11/97	राज्य मन्त्री	राज्य मन्त्री	राज्य मन्त्री
8.	17/97	पंजाब-द्वितीय	पंजाब	पंजाब
9.	18/97	क्याबल	क्याबल	क्याबल
10.	20/97	गोखले	गोखले	गोखले
11.	31/97	गोखले	गोखले	गोखले
12.	32/97	गोखले	गोखले	गोखले
13.	17/98	राज्य मन्त्री	राज्य मन्त्री	राज्य मन्त्री
14.	2/98	गोखले	गोखले	गोखले
15.	3/98	गोखले	गोखले	गोखले
16.	4/98	गोखले	गोखले	गोखले
17.	5/98	गोखले-प्रथम	गोखले	गोखले
18.	6/98	गोखले-द्वितीय	गोखले	गोखले
19.	7/98	गोखले	गोखले	गोखले
20.	8/98	गोखले-प्रथम	गोखले	गोखले
21.	9/98	गोखले-द्वितीय	गोखले	गोखले
22.	10/98	गोखले-द्वितीय	गोखले	गोखले
23.	11/98	गोखले	गोखले	गोखले
24.	12/98	गोखले	गोखले	गोखले
25.	13/98	गोखले-प्रथम	गोखले	गोखले
26.	14/98	गोखले-द्वितीय	गोखले	गोखले
27.	15/98	गोखले-द्वितीय	गोखले	गोखले
28.	16/98	गोखले-द्वितीय	गोखले	गोखले
29.	17/98	गोखले-प्रथम	गोखले	गोखले
30.	18/98	गोखले	गोखले	गोखले
31.	19/98	गोखले-प्रथम	गोखले	गोखले
32.	20/98	गोखले	गोखले	गोखले
33.	29/98	गोखले-प्रथम	गोखले	गोखले
34.	30/98	गोखले-प्रथम	गोखले	गोखले
35.	31/98	गोखले-द्वितीय	गोखले	गोखले

39.	35/98	चलाहल उप राण्ड-प्रथम
40.	36/98	चलाहल उप राण्ड-द्वितीय
41.	37/98	कदवाह उप राण्ड-प्रथम
42.	38/98	शमकरी
43.	39/98	बागडम राण्ड-प्रथम
44.	40/98	बागडम उप राण्ड-द्वितीय
45.	41/98	बागडम उप राण्ड-तृतीय
46.	42/98	माझरी उप राण्ड-प्रथम
47.	43/98	माझरी उप राण्ड-द्वितीय

रुब सुन्नी = 47

वृत्त मन्त्रालय, अफिम
लिपिकर, वि. वि. वि. वि. वि.
सि. वि. वि. वि. वि. वि.

राजस्व विभाग, हिमाचल प्रदेश - नकल जमाबंदी

एस.सी.ए रसीद संख्या: 4080103120842995

शिमला
: उप तहसील जलोग
त : उप तहसील - जलोग
वृत्त : हुमैहर
त न. : 98

नाम : NA
पिता/पति : NA

नकल शुल्क : 1.00
सेवा शुल्क : 20
कुल शुल्क : 21

मोहान : पलंग

साल : 2021-2022

रकबा ईकाई: है-आ-से

ह. न.	खतीनी न.	नाम मालिक व एहवाल	नाम काश्तकार व एहवाल	नाम घाह व दीगर वसायल आबपाशी	नम्बर खसरा हाल	रकबा हर खेत व मिजान खाता मय किस्म अराजी	हिस्सा या पैमाना हकीयत व तरीका बाछ	कफियत
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37 मिन	68	सरकर हिमाचल प्रदेश	कब्जा वन विभाग		358/283	14-18-82	कब्जा व पड़ल	
38	68				ओजड धार	परामाह दखतन	बराह खेत न. (1)	
बराह								
खेत न.								
(1)								
19.01								
माल								
11.52								
खेत								
7.49								
माल								
0.00								
माल								
0.00								
खेत								
0.00								
माल								
19.01								
माल								
11.52								
खेत								



निकनेट : हिमाचल प्रदेश - शिमला

दिनांक: 20-Mar-2024

पृष्ठ संख्या: 1

SOIL AND MOISTURE CONSERVATION PLAN IN RESPECT OF CONSTRUCTION
OF ROAD FROM BHARARI TO PADHAYA MATA MANDIR UNDER FCA-1980.

Sl. No.	Particular of soil and moisture conservation works	Name of area	Qty.	Rate	Amount. (Rs.)	Justification.
1.	Construction of retaining wall.	Khasra No.3/1 of R-17 Manaun	1	L/s	45000/-	To control the inflow of silt into the forest area.


Range Forest Officer,
Taradevi Range.

Approved


Divisional Forest Officer
Shimla Forest Division
SHIMLA